न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 10/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		गोविन्द पुत्र सोहनलाल सांखला निवासी नागौर। फर्म–हैप्पी रेस्टोरेन्ट, एस.पी.ऑफिस के पास, नागौर।

आदेश

दिनांक : 14.02.18

1. शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 5-04-2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

2(1). प्रार्थी दिनांक 14-05-15 को दोपहर 02-00 बजे (PM) गश्त चैंकिंग के दौरान बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर स्थित हेप्पी रेस्टोरेन्ट पर पहुंचा। जहां पर विक्रेता की हेसियत से गोविन्द मौजूद था। प्रार्थी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया परिचय पत्र दिखाया।

2(2). यह कि आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने खाद्य पदार्थ पनीर लगभग 3 किलोग्राम डीप फ्रीजर में रखा हुआ था। निरीक्षण के दौरान मिलावट का शक होने पर इसकी जांच FSSA के तहत कराने के लिए 1 किग्रा (250 gm x 4) खाद्य पदार्थ पनीर खरीदने की इच्छा जाहिर की एवं विक्रेता को प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। दूसरे प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया कि यह नमूना वह वास्ते जांच FSSA Act के तहत खरीद रहा है। विक्रेता को रूपए 250/– दो सौ पचास रू. मात्र नगद देकर खाद्य पदार्थ पनीर 1 किग्रा (250 gm x 4) खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी व विक्रेता ने हस्ताक्षर किए।

2(3). यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता को चार साफ सूखी खाली कांच की शीशियां दिखाकर खरीदसुदा पनीर साफ स्टील के भगोने में डालकर एक रूप कर बराबर मात्रा चारो शीशियों में पनीर वास्ते जांच हेतु भरा एवं चारों शीशियों में 20–20 बूँदे फॉर्मेलीन डाली को ढक्कन लगाकर एयर टाइट बंद किया। विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये। जिस पर डीओ कोड व सीरीयल नंबर क्यू–750 नाम व पता वस्तु का नाम नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। प्रार्थी, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज क्यू–750 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी, नागौर की नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिर से होते हुए नीचे पैंदों तक नमूनों को अलग अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गॉठ लगाई। प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार चार सील चपडी की लगाई एक नमूने के सिर पर एक पेंदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ लगाई एवं चारों नमूनों पर प्रार्थी ने हस्ताक्षर किए व विक्रेता के नियमानुसार आधे रिलप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाए। गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबंद अवस्था में प्रार्थी ने अपने कब्जे में किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में प्रार्थी ने व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी व विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई।

2(4).यह है कि क्यू–750 नमूने के एक सीलबंद भाग को फार्म नम्बर 6 की प्रति को सील बंद लिफाफे में उम्मेद सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नागौर के साथ दिनांक 15-05-15 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

2(5).यह है कि क्यू–750 के नमूने के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग फार्म नम्बर कर तीन प्रतियों के साथ जिस पर वही सील अंकित की जिसके द्वारा क्यू–750 नमूना सील बंद कर प्रार्थी ने अभिहित अधिकारी, नागौर को दिनांक 15-05-15 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

2(6).यह है कि आवेदक को अभिहित अधिकारी, नागौर के द्वारा जांच रिपोर्ट एल.एस/342/एक्ट/2015/342 दिनांक 27-05-15 दी गई। जिससे मालूम हुआ कि लिया गया नमूना क्यू–750 खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 11-04-2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री भगवानराम सारस्वत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अपने जवाब दिनांक 22.02.17 में बताया कि खाद्य निरीक्षक मेरी दुकान जरूर आये थे तथा दुकान पर चाय पीकर गये तथा जाते समय कहा कि दिल्ली दरवाजा कोई मिठाई की दुकान पर निरीक्षण करके आया हूँ। उसमें आप मौतबिरों में हस्ताक्षर कर दो, यह कहकर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर अवश्य कराये थे और मैने विश्वास में खाली कागजो पर हस्ताक्षर कर दिये, इसके अलावा मेरी दुकान पर कुछ नही किया है। किसी भी भरे हुए फार्मो पर मेरे हस्ताक्षर नही कराये, केवल मौतबिर बनाने का कहकर खाली फार्मो पर हस्ताक्षर कराये थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपर बताये अनुसार केवल मौतबिर बनाने का कहकर ही हस्ताक्षर कराये थे, मै मेरी दुकान में पनीर मै रखता ही नही था। इसलिये मेरे से पनीर खरीदने का प्रश्न ही पैदा नही होता।

4. वकील अप्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस/342/एक्ट/2015/342 दिनांक 27-05-15 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। प्रकरण में जिस खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा अवमानक स्तर खाद्य पदार्थ का विक्रय किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी गोविन्द पर 11,000/– अक्षरे रूपये ग्यारह हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

5. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर